

16.10.19 अधिवक्ता वि.सं.। उप०। अधिवक्ता
 प्राचीनता मय प्राचीनता को आवली
 किलवार्ड गई। अनुपाकृत है। अतः प्राचीनता
 का प्राचीनता पत्र 212 R.T. Act अक्षम हाजरी
 अक्षम पंक्ती में खारिज किया जाता
 है।

पभावली पंक्तील शुमार होकर नम्बर
 से कम है। मूल वाद के संलग्न रहे।
 निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।



(Signature)
 सहायक कलेक्टर एवं
 कार्यपालक दण्ड नायक (फास्ट ट्रैक)
 वल्लभनगर, जिला-उदयपुर (राज.)